



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012026-269563
CG-DL-E-27012026-269563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947

No. 292]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

सं. 55 /2025-26

विषय: एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 320(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), अनुसूची-2, 2022 के एचएस कोड 1101 के तहत मदों की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	अतिरिक्त नीतिगत शर्त
1101	गेहूँ अथवा पिसा हुआ आटा (आटा) मैदा,	प्रतिबंधित	डीजीएफटी की अधिसूचना 39/2015-	एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ का आटा और संबंधित उत्पादों का 5

	सेमोलिना (रावी/सिरगी), होलमील आटा और रिसल्टेंट आटा		2022 दिनांक 14-10-2022 में निर्धारित निर्यात नीतियों के अनुसार।	एलएमटी तक निर्यात डीजीएफटी द्वारा जारी निर्यात प्राधिकार-पत्र के तहत अनुमत होगा, जो सार्वजनिक सूचना द्वारा अलग से अधिसूचित कार्य-रीति के अधीन है।
--	--	--	---	---

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ का आटा और संबंधित उत्पादों का निर्यात “प्रतिबंधित” रहेगा। तथापि, एचएस कोड 1101 के तहत गेहूँ का आटा और संबंधित उत्पादों का 5 एलएमटी सीमा तक निर्यात मौजूदा नीतिगत शर्तों के अतिरिक्त भी अनुमत है।

[फा. सं. 01/91/180/032/एएम22/भाग-I/ईसी/ई-32553]

लव अग्रवाल, अपर सचिव एवं महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2026

No. 55/2025-26

Subject: Amendment in export policy of items under HS Code 1101 – regarding.

S.O. 320(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) as amended, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby amends export policy of items under HS code 1101 of ITC (HS), Schedule-2, 2022 as under:

ITC(HS) Code	Description	Existing Export Policy	Existing Policy Condition	Additional Policy Condition
1101	Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina (Ravi/Sirgi), Wholemeal Atta and resultant atta	Prohibited	Export conditions as laid down in DGFT Notification 39 /2015-2020 dated 14.10.2022.	Export of 5 LMT of wheat flour and related products under HS code 1101 shall be permitted under the Export Authorisation issued by DGFT, subject to the modalities notified separately vide Public Notice.

2. Effect of this Notification:

The export of wheat flour and related products under HS Code 1101 shall continue to remain “Prohibited”. However, export to the extent of 5 LMT of wheat flour and related products under HS Code 1101, over and above the existing policy conditions, is allowed.

[F. No. 01/91/180/032/AM22/Pt.I/EC/E-32553]

LAV AGARWAL, Jt. Secy. & Director General of Foreign Trade